प्रेस विज्ञप्ति

19 अप्रैल, 2016

रणदीप सिंह सुरजेवाला, इन्चार्ज कम्युनिकेशंस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ने आज प्रेस में निम्नलिखित बयान जारी किया :–

''प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष, श्री अमित शाह अहमदाबाद (गुजरात) कोर्ट में लंबित ईशरतजहां के झूठे एनकाउंटर मामले में आरोपी की सुनवाई अवरुद्ध करके न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं और देश को एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत गुमराह कर रहे हैं। मोदी सरकार एक जेबी जांच एजेंसी के द्वारा पुनः जांच करवा सारे मामले को रफा दफा करने की दुर्भावना से बार बार बहाने बना रही है, फिर चाहे वो चुनिंदा न्यूज़ लीक्स हों, उनके मंत्रियों के भ्रामक बयानों का झूठा जाल हो या फिर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति रोककर न्यायिक प्रक्रिया को अवरोधित करना हो। प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष, श्री अमित शाह को देश के 125 करोड़ लोगों को ईशरतजहां मामले की सुनवाई बंद करने के पीछे की असली वजह बतानी चाहिए। वो आखिर क्या छिपा रहे हैं या फिर उन्हें देश की जनता के सामने किस बात के आ जाने का डर है?

मोदी सरकार न केवल सच्चाई छिपा रही है, परंतु सफेद झूठ के द्वारा यह तथ्य भी छिपा रही है कि ईशरतजहां एवं अन्य तीन के ''झूठे एनकाउंटर'' में मारे जाने का निष्कर्ष पहले अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट के जिला न्यायाधीश एवं फिर गुजरात हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के द्वारा दिया गया। मोदी सरकार जानबूझकर यह बताना भूल जाती है कि ईशरतजहां के झूठे एनकाउंटर के मामले में भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या एवं अन्य अपराधों का मामला गुजरात हाई कोर्ट की खंडपीठ के निर्देश पर दर्ज किया गया था। एक बात और जानबूझकर छिपाई जाती है कि जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट, कोर्ट के निरीक्षण में सीबीआई जांच और कोर्ट के निर्देश पर दर्ज की गई। दोनों अदालतों ने, यानि मेट्रोपोलिटन कोर्ट, अहमदाबाद एवं गुजरात हाई कोर्ट के निरीक्षण में हुई जांच में झूठे एनकाउंटर के निष्कर्ष पर मुहर लगा दी और अदालत के आदेश पर हत्या का मामला दर्ज हुआ व आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। मोदी सरकार हाई कोर्ट के सामने दायर किए एफिडेविट का सहारा लेकर मुकदमे को आगे न बढ़ने देने और सच्चाई छिपाने का प्रयास कर रही है। इस बात से प्रधानमंत्री, भाजपा अध्यक्ष एवं उनके मंत्रियों की नीयत पर भी प्रश्नचिन्ह लग जाता है।

इस मामले में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए :–

1. 15 जून, 2004; ईशरतजहां एवं तीन अन्य– प्रणेश पिल्लई, ज़ीशन जौहर एवं अमजद अली राणा को अहमदाबाद में अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने एक एनकाउंटर में मार गिराया।

   उन पर आरोप यह लगाया गया कि वो लश्कर–ए–तैयबा के सदस्य थे और गुजरात के मुख्यमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी को मारना चाहते थे। गुजरात सरकार के इस आरोप का ईशरतजहां एवं मारे गए अन्य लोगों के परिवारवालों ने जमकर विरोध किया और विभिन्न सिविल सोसायटी समूहों ने गुजरात सरकार से इसका जबाव मांगा।

2. ईशरतजहां व अन्य लोगों की मौत की जांच अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट यानि जज, श्री एस. पी. तमंग ने की और यह निष्कर्ष दिया कि यह एनकाउंटर झूठा था।

   अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट के इस निर्णय को गुजरात हाईकोर्ट में गुजरात सरकार ने चुनौती दी।
3. गुजरात हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी में गुजरात कैडर के दो आईपीएस अधिकारी– श्री मोहन झा (गुजरात पुलिस), श्री सतीश वर्मा (गुजरात पुलिस) एवं एक बाहरी अधिकारी– श्री जे. वी. रामुडू शामिल थे। इस एसआईटी ने नवंबर, 2011 में हाईकोर्ट को एक सर्वसम्मत रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इस बात का निष्कर्ष दिया गया कि यह एनकाउंटर जाली था।
4. एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने इस जाली एनकाउंटर में शामिल सभी अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 एवं अन्य संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। दिसंबर, 2011 में गुजरात हाईकोर्ट ने यह मामला कोर्ट के निरीक्षण में आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया।

   2011 से 2013 के बीच इस केस का निरीक्षण गुजरात हाईकोर्ट की खंडपीठ कर रही थी। जुलाई, 2013 में, सीबीआई ने अहमदाबाद कोर्ट में एक चार्जशीट दर्ज की, जिसमें साफ कहा गया कि ईशरतजहां एवं अन्य एक जाली एनकाउंटर में मारे गए। सीबीआई द्वारा चार्जशीट दर्ज करने के बाद उस समय राज्यसभा में विपक्ष के नेता, श्री अरुण जेटली (वर्तमान वित्तमंत्री) ने उस समय के प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह को विस्तृत पत्र लिखकर झूठे एनकाउंटर के दोषियों को बचाने की कोशिश की थी और आरोप लगाया था कि उस समय के मुख्यमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में आरोपी बनाने की साजिश की जा रही है। श्री जेटली ने अपने खुद के नाम से मीडिया में दो ब्लॉग भी लिखे।
5. साफ है कि ईशरतजहां के झूठे एनकाउंटर मामले का किसी भी रूप में और कोई भी संबंध तत्कालीन कांग्रेस सरकार से नहीं है।
   झूठे एनकाउंटर के खुलासों को अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने सभी प्रमाणों की जांच के बाद एनकाउंटर की न्यायिक जांच में दर्ज किया है। श्री नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट में अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट के द्वारा जाली एनकाउंटर के निष्कर्षों को चुनौती दी। हाईकोर्ट के द्वारा गठित की गई और निगरानी में रखी गई एसआईटी (जिसमें दो अधिकारी गुजरात पुलिस के थे) ने झूठे एनकाउंटर के निष्कर्ष पर मुहर लगाई। उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट के निरीक्षण में सीबीआई जांच ने झूठे एनकाउंटर के खुलासों की पुष्टि की। इसके बाद अहमदाबाद ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई, जो कोर्ट के निरीक्षण में एसआईटी के निष्कर्षों एवं सीबीआई जांच पर आधारित थी। स्पष्ट है कि इन खुलासों ने अंतिम रूप ले लिया है। तो मोदी सरकार साजिश का आरोप कैसे लगा सकती है, जबकि इस मामले में कोर्ट की निगरानी में दो जांचों ने साफ–साफ निष्कर्ष दिया है?

देश के नागरिक ईशरतजहां मामले में न्यायिक प्रक्रिया में अंतिम निष्कर्ष तक न पहुंचने देने के लिए बाधा डालने के पीछे की असली वजह जानना चाहते हैं। क्या भाजपा कुछ छिपा रही है या फिर वो आरोपी अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जिनमें से एक आज मुकदमा चलने के बावजूद गुजरात पुलिस में डीजी के पद पर नियुक्त कर दिया गया है? या फिर वो

यह सब गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में हुए बड़े घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए कर रही है, जिसमें राजकोष से जनता की गाढ़ी कमाई के लगभग 20,000 करोड़ रु. दांव पर लगा दिए गए? या फिर वो यह सब उस समय राज्य के मंत्रीमंडल के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात की वर्तमान मुख्यमंत्री, श्रीमति आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल को गैरकानूनी तरीके से किए गए भूमि के आबंटन से ध्यान भटकाने के लिए कर रही है, जिसमें राजकोष को बड़ा नुकसान हुआ था? या फिर यह सब मोदी सरकार के पंगु प्रशासन एवं व्यापक बेरोजगारी और गांवों में फैली निराशा से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है? देश की जनता प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी से इन बातों का उत्तर जानना चाहती है।''